आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

02/23-24

आदेश पत्रक.................................. से.................................. तक
अंचल– कुरडेग, जिला– सिमडेगा
केस का प्रकार– वाद सं0– 02/2023–24

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
1	2	3
06/06/23 15/09/2023	इस वाद का संधारण श्री संतोष मिंज, पिता–सामेल उरांव, ग्राम–सर्पमुण्डा के आवेदन के आलोक में किया गया। आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में दावा किया है कि मौजा–सर्पमुण्डा, थाना संख्या 31 खाता संख्या–23, 52, 77, 78, 79, 80, एवं 81 की भूमि पर श्री फबयानूस मिंज द्वारा उनकी भूमि पर अवैध रुप से दखल किया गया है जो गलत है। अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाय। प्रार्थी के आवेदन को न्यायालय स्वीकृत करती है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें तथा उभय पक्षों से भूमि संम्बधी दस्तावेज की मांग करते हुए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28/06/23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	
28/06/23	**अभिलेख उपस्थापित।** नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/~~अप्राप्त~~। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 08/07/2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	
08/07/23	**अभिलेख उपस्थापित।** नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/~~अप्राप्त~~। उभय पक्ष न्यायालय में ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 22/07/23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	

अभिलेख उपस्थापित।

22/07/23 प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ तथा द्वितीय पक्ष ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित । द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 05/08/2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

05/08/23 **अभिलेख उपस्थापित।**

प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ तथा द्वितीय पक्ष उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ । द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 29/08/2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

अभिलेख उपस्थापित।

29/08/23 प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ तथा द्वितीय पक्ष उपस्थित/~~अनुपस्थित~~ । द्वितीय पक्ष को अंतिम वजरिये नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 05/09/2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

05/09/23 **अभिलेख उपस्थापित।**

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~। राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त।

अभिलेख दिनांक 15/09/2023. को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

15/09/23 **अभिलेख उपस्थापित।**

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~। राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि श्री संतोष मिंज एवं फबियानुस मिंज सर्वे खतियानी रैयत भोंभा उरॉववो शुकरा उरॉव वो झारिया उरॉव वो गाबरैल उरॉव पेशरान पिठियार उरॉव.के वंशज हैं तथा स्थानीय जाँच के क्रम में पाया गया कि मौजा–सर्पमुण्डा, थाना नं0 31 खाता संख्या–80, कुल रकबा 02.45 एकड़ भूमि उभय पक्षों का दखल कब्जा है। उक्त खाता संख्या 80 अंतर्गत प्लॉट संख्या– 1306, 1307, 1310, 1311, 1312, एवं 1313 कुल रकबा– 0.83 एकड़ भूमि पर संतोष मिंज का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है जबकि प्लॉट संख्या–239, 2036 कुल रकबा 1.62 एकड़ पर फबियानुस मिंज का दखल कब्जा है।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा–सर्पमुण्डा खाता संख्या 80 अंतर्गत प्लॉट संख्या– 1306, 1307, 1310, 1311, 1312, एवं 1313 कुल रकबा– 0.83 एकड़ भूमि पर उनका विगत लगभग 50 वर्षों से शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है एवं उनके द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है। श्री संतोष मिंज के कथनानुसार उक्त भूमि उनको अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में प्राप्त है। साथ ही इनका कथन है कि मैं एवं श्री फबियानुस मिंज खतियानी रैयत भोमा उरांव, सुकरा उरांव, झरिया उरांव, पोढ़ा उरांव वो गबरैल उरांव पेशरान पिठियार उरांव के वंशज है तथा प्रश्नगत् भूमि मुझे पारिवारिक बंटन द्वारा प्राप्त है। जिसके बाद से उक्त भूमि में दखलकार है शेष भूमि (खाता संख्या–80 प्लॉट संख्या–239 एवं 2036 कुल रकबा–1.62 एकड़) पर फबियानुस मिंज द्वारा शांतिपूर्ण जोत आबाद किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष फबियानुस मिंज का कथन है कि खाता संख्या–80 उनके पूर्वज भोमा उरांव, सुकरा उरांव वो झरिया उरांव गाबरैल उरॉव पेशरान पिठियार उरांव के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है।

अतः संतोष मिंज के द्वारा जोत–आबाद किए जा रहे भूमि उनका किसी प्रकार का हक नहीं बनता है। इनका कथन है कि संतोष मिंज खतियानी रैयत के वंशज है परन्तु संतोष मिंज के द्वारा जोता जा रहा भूमि पर गलत तरीके से दखल किया गया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा–सर्पमुण्डा खाता संख्या 80 अंतर्गत प्लॉट संख्या– 1306, 1307, 1310, 1311, 1312, एवं 1313 कुल रकबा– 0.83 एकड़ भूमि संतोष मिंज का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है जबकि प्लॉट संख्या–239, 2036 कुल रकबा 1.62 एकड़ पर फबियानुस मिंज का दखल कब्जा है। राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा है।

अतः उपर्यक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष खतियानी रैयत भोमा उरांव, सुकरा उरांव वो झरिया उरांव गाबरैल उरॉव पेशरान पिठियार उरांव वशज हैं तथा विवादित भूमि पर संतोष मिंज का लम्बे समय से दखल कर जोत आबाद किया जा रहा है जिसे प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। राजस्व न्यायालय प्रथम दृश्या संतोष मिंज का दावा को दखल कब्जा के आधार पर पुष्ट करते हुए फबियानुस मिंज के दावा को खारिज करती है क्योंकि यह मामला सत्व से संबंधित है जिसका निष्पादन राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र हैं।

लेखापित एवं संशोधित

15/5/23
अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

15/5/23
अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.07.16 13:50:49 +05:30
Location: 192.168.43.102